

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-748/08
संस्थापित दिनांक-26.12.2008
Filling no. 235103000892008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- जसवंत सिंह पुत्र कमल सिंह आयु 31 साल निवासी पतियापुरा चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 2- राजू पुत्र परमाल सिंह भदौरिया उम्र 32 साल निवासी- साडा कॉलोनी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0आरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 14.11.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 379 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 01.12.2008 को 10 बजे चकलाबावडी बी.एस.एन.एल टावर के सामने चंदेरी में फरियादी अशोक रेकवार की स्वामित्व एवं आधिपत्य की बकरी कीमत रुपये 5000/- रुपये को बेईमानी पूर्वक उसकी सहमति के बिना चोरी की।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी अशोक रैकवार ने सुवराति साबिर, गोपी एवं इस्लामद्दीन के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 01.12.2008 को 10 बजे उसकी बकरी बी.एस.एन.एल टावर के पीछे चरने गई थी, वह करीब 10 बजे बकरियो देखने गया तो उसकी एक बकरी लाल सफेद तथा एक बकरा सफेद मुन्डा की थी, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके चुरा ले गया है। प्रवीण जैन ने बताया कि बकरा, बकरी जसवंत गडरिया तथा राजू चुरा करके ले गये हैं, उसके बकरा, बकरी की कीमत लगभग 5 हजार रुपये थी। सुवराती, साबिर, गोपी कोरी तथा इस्लामद्दीन के भी बकरा, बकरी चोरी गये थे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03- अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर

सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

- | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 01.12.2008 को 10 बजे चकलाबावडी बी.एस.एन.एल टावर के सामने चंदेरी में फरियादी अशोक रेकवार की स्वामित्व एवं आधिपत्य की बकरी कीमत रुपये 5000 /— रुपये को बेईमानी पूर्वक उसकी सहमति के बिना चोरी की ? |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

: : सकारण निष्कर्ष : :

05— सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान से प्रश्नगत सामान चोरी हुआ ? इस संबंध में फरियादी अशोक रेकवार अ.सा.02 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनो से 5—6 साल पहले की है। उसका एक बकरा और एक बकरी बी.एस.एन.एल के पास चरने गये थे, थोड़ी देर बाद देखने गया तो बकरी नहीं मिली, बकरी लाल सफेद थी तथा बकरा मुंडा सफेद था जिनकी कीमत 5 हजार रुपये करीब थी। उक्त घटना के संबंध में उसके द्वारा थाने पर प्र.पी.1 की रिपोर्ट लेख कराई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसके कोई बकरा, बकरी चोरी नहीं किये। उक्त साक्षी के कथनो की समपुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है। प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त साक्षी अशोक अ.सा.02 के चोरी होने से संबंधित एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 लेखबद्ध कराये जाने से संबंधी कथन सारतः अखंडनीय रहें हैं। अतः उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना, समय व स्थान पर प्रश्नगत सामान अर्थात् बकरा, बकरी की चोरी हुई थी।

06— अब यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि फरियादी के आधिपत्य से चोरी हुए प्रश्नगत बकरा एवं बकरी आरोपीगण द्वारा चोरी किये गये थे। इस संबंध में प्रवीण कुमार जैन अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में बताया कि वह आरोपी राजू भदौरिया को जानता है तथा जशवंत सिंह को नहीं पहचानता है यदि जशवंत सिंह सामने आए तो पहचान सकता है। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने सन् 2007—09 तक जननी एक्सप्रेस में वाहन चलाने का कार्य किया है, उस दौरान की यह घटना है। अशोक ढीमर ने उसे बताया था कि उसकी बकरियां चोरी चली गई है और किसी व्यक्ति ने अशोक ढीमर को बताया था कि मारुति वाहन से उक्त बकरियां कोई ले गया है तो अशोक मारुति वाहन में बकरिया तलाश कर रहा था। उक्त साक्षी का कहना है कि अशोक ने उससे बकरियों के संबंध में पूछा तो मैंने उसे बताया कि एक व्यक्ति राजू भदौरिया उसके पास बकरियां ले जाने के लिये गाड़ी मांगने आया था किन्तु वाहन जननी एक्सप्रेस का था इसलिये राजू भदौरिया को

वाहन देने से मना कर दिया था। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि वह राजू भदौरिया को नहीं जानता।

07— फरियादी अशोक रैकवार अ0सा02 ने उसके कथनो में बताया कि वह आरोपी जशवंत, राजू को जानता है। घटना उसके कथनो के 5—6 साल पहले की है, उसका एक बकरा और एक बकरी बी.एस.एन.एल के पास चरने गई थी थोड़ी देर बाद देखने पर नहीं मिली। रोड पर प्रदीप मिले जिन्होंने बताया कि तुम्हारे बकरा, बकरी जशवंत और राजू चुराकर ले गये हैं। बकरी लाल, सफेद थी और बकरा मुंडा सफेद था जिनकी किमत 5 हजार रुपये के करीब थी, इसके अलावा सुभराति एवं इस्लामुद्दीन के भी बकरा बकरी चोरी गये थे। उक्त साक्षी के द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्र.पी.1 है, पुलिस ने उसका कथन लिया था तथा नक्शामौका प्र.पी.2 बनाया था। मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में उक्त साक्षी ने बताया कि उसके चोरी गये बकरा एवं बकरी के संबंध में शिनाख्तगी की कार्यवाही हुई थी और उसने प्र.पी. 3 की शिनाख्तगी में अपने बकरा, बकरी पहचान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने आरोपीगण को बकरी चुराते नहीं देखा है। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि वह आरोपी जशवंत एवं राजू को बहुत पहले से जानता है। यद्यपि उक्त साक्षी ने पहचान कार्यवाही कहा पर कराई थी और उसमें कितने बकरा बकरी मिलाकर कराई थी उसे पता नहीं है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि उसके कोई बकरा, बकरी चोरी नहीं हुए।

08— सुभराति अ0सा03 ने उसके कथनो में बताया कि वह आरोपीगण व फरियादी अशोक रैकवार को जानता है। बकरी चोरी के उपरांत अशोक रैकवार से मुलाकात हो जाती है। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके कथना से 3—4 साल पहले की है, उसकी भी बकरियां चोरी हो गई थी जिनको जशवंत सिंह चोरी करके ले गया था, उसे मुंगावली से पता चला था कि जशवंत ने बकरियां ले जाकर कटवा दी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे मुंगावली के एक खटिक ने बताया था कि तुम्हारी बकरी जशवंत चुराकर ले गया है जिन्हें मैंने काट दिया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा साक्षी से यह पूछने पर कि तुमने कभी बकरी के आस-पास जशवंत को घुमते हुए तो नहीं देखा तो साक्षी ने कहा कि उसका मुर्गा जशवंत चुरा ले गया था जिसका उसने कोई मुआबजा नहीं दिया था, उक्त बात जशवंत के पिता को बताई तो जशवंत का पिता उसे डण्डे से मारने लगा। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि इसी बात से उसने जशवंत की झुठी रिपोर्ट कर दी थी।

09— साबिर मोहम्मद अ0सा05 का कहना है कि वह आरोपी जशवंत को जानता है, राजू भदौरिया को नहीं जानता है। उक्त साक्षी का कहना है कि उसकी बकरी तहसील के पास से चली गई थी, जब उसे पता चला कि कमल सिंह का लडका जिसका नाम जशवंत हो सकता है बकरी चोरी के बारे में बताया था। उक्त साक्षी का कहना है कि अशोक, सुभराति, इस्लामुद्दी की भी बकरी चोरी चली गई थी, उक्त

लोग एक ही दिन अलग-अलग समय पर रिपोर्ट करने गये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया कि जब उसे पता चला कि कमल सिंह के बच्चे ने चोरी की है तब वह रिपोर्ट करने गया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि जशवंत ने बकरी चोरी की है और वह जशवंत के पास गया तो जशवंत ने कहा कि हां उसने बकरी चुराई है तुम्हे जो दिखे वो कर लेना। प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से यह पूछने पर कि क्या आपने पुलिस को ऐसा कथन दिया था कि जशवंत की चोरी करने शौहरत है, तो साक्षी का कहना है कि उसने ऐसा कथन पुलिस को नहीं दिया, लेकिन चोरी करने की उसकी आदत है। साबिर अ0सा05 का प्रतिपरीक्षण में यह भी कहना है कि जशवंत ने उसकी इस्लामद्दीन, सुभराति व अशोक की बकरियां चुराई थी।

10— इस्लामुद्दीन अ0सा08 ने उसके कथनो में बताया कि वह आरोपीगण व फरियादी को जानता है। उक्त साक्षी का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 7-8 साल पहले की है, उसने सुबह 8 बजे 2 बकरियां खोल दी थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसे 2-3 बजे पता चला कि बकरियां थाने के पास में है, उसके बाद बकरियों का पता नहीं चला, फिर उसने बकरियों को ढूँढा तो बाद में उसे पता चला कि अभियुक्त जशवंत ने बकरियां चोरी कर ली है। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने अभियुक्तगण से बात की तो अभियुक्तगण उसका उल्टा चढ़ गये और रिपोर्ट करने को कहा तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट करना चाहते हो तो रिपोर्ट कर दो, तो साक्षी का कहना है कि उसने रिपोर्ट की थी। इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी गोपीलाल अ0सा04, सरोज जैन अ0सा06, अमोली अ0सा07, राजेन्द्र सिंह अ0सा09 ने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

11— जंगबहादुर सिंह अ0सा010 ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 01.12.2008 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उसे अ0क्र0 423/08 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने घटना स्थल पर पहुँचकर फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था। विवेचना के दौरान आरोपी जशवंत को गिरफ्तार कर प्र.पी. 8 का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उक्त आरोपी से साक्षीगण के समक्ष पूछताछ कर धारा 27 का मेमोरेडम तैयार किया था जो प्र.पी.5 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मेमोरेडम के अनुसार उसके द्वारा आरोपी जशवंत से एक बकरी साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.6 तैयार किया था और जप्तशुदा बकरी को साक्षीगण के समक्ष फरियादी को अस्थायी सुपुर्दगी पर दिया था, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 7 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— जंगबहादुर सिंह अ0सा010 का कहना है कि उसके द्वारा प्रकरण में एक अन्य

अभियुक्त राजू भदौरिया को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र. पी. 9 बनाया था तथा आरोपी से पूछताछ कर धारा 27 का मेमोरेडम तैयार किया था जो प्र.पी. 10 है, उसके द्वारा उक्त आरोपी के बताए अनुसार बकरे की खाल तलाश की गई थी, किन्तु कोई खाल प्राप्त नहीं हुई थी। उक्त कार्यवाही के संबंध में साक्षी द्वारा तलाशी पंचनामा प्र.पी.11 तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे किसी तरह का कोई मेमो नहीं दिया और इस बात से भी इंकार किया कि उसने आरोपी से कोई वस्तु जप्त नहीं की।

13— अभियोजन साक्षी प्रवीण कुमार अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में आरोपी राजू भदौरिया को जानने वाली बात व्यक्त की तथा जशवंत को सामने आने पर पहचानना व्यक्त किया। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि अशोक ने उससे बकरियों के संबंध में पूछा था तो उसने राजू भदौरिया उसके पास बकरी ले जाने के लिये गाड़ी मांगने आया था। जब राजू भदौरिया अस्पताल में उसके पास आया तो उस समय वहां पर कोई बकरियां नहीं थी। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह राजू भदौरिया को नहीं जानता है, किन्तु आगे यह भी व्यक्त करता है कि राजू भदौरिया 20—22 साल का था, उक्त साक्षी मुख्य परीक्षण में आरोपी राजू भदौरिया को जानने वाली बात व्यक्त करता है और वह बकरी ले जाने के लिये गाड़ी मांगने वाली बात भी व्यक्त करता है एवं प्रतिपरीक्षण में अपने पूर्व कथनों से इंकार करता है, ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी की साक्ष्य विरोधाभासी होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

14— फरियादी अशोक रैकवाल द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में बताया है कि उसे रोड पर प्रदीप जैन मिले थे जिन्होंने उसे बताया था कि तुम्हारे बकरा, बकरी जशवंत और राजू चुराकर ले गये थे। उक्त साक्षी द्वारा शिनाख्तगी एवं प्र.पी. 3 के अनुसार बकरा, बकरी पहचान लेने वाली बात व्यक्त की हैं और उक्त साक्षी ने कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहे हैं। यद्यपि उक्त साक्षी यह बताने में असमर्थ रहा है कि शिनाख्तगी की कार्यवाही कहा पर और किसके द्वारा की गई। जंगबहादुर सिंह अ0सा010 द्वारा आरोपी जशवंत को गिरफ्तार कर उससे साक्षीगण के समक्ष पूछताछ कर धारा 27 का मेमोरेडम प्र.पी. 5 तैयार किया जाना व्यक्त किया और मेमोरेडम के अनुसार आरोपी जशवंत से एक बकरी साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र. पी. 8 तैयार किया जाना व्यक्त किया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। यद्यपि अनुप्रमाणक साक्षी अमोली अ0सा07 ने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्त जशवंत उसके समक्ष पुलिस को कोई जानकारी दी थी और इस बात से भी इंकार किया कि उसके सामने पुलिस ने अभियुक्त जशवंत से लाल सफेद रंग की बकरी पकड़ी थी, परन्तु प्रकरण में मुख्य कार्यवाही संपादित किये जाने वाले विवेचक जंगबहादुर अ0सा010 की सकारात्मक साक्ष्य अभिलेख पर है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षणीय में आरोपीगण द्वारा उसे किसी तरह की मेमो न दिये जाने के सुझाव से स्पष्टतः इंकार किया है, इसके अतिरिक्त अभियुक्त जशवंत से एक बकरी उसकी

निशानदेही पर जप्त किये जाने से संबंधित साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहे हैं और साक्षी के कथनों की समपुष्टि सुसंगत, मेमोरेडम एवं जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 एवं 6 से भी होती है।

15— जंगबहादुर सिंह अ0सा010 का विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु उनके न्यायालयीन कथन में कोई ऐसा तात्त्विक विरोधाभास नहीं है जिससे उक्त साक्षी की साक्ष्य संदेहास्पद होकर अविश्वसनीय प्रतीत होती हो। यह भी उल्लेखनीय है कि जप्तशुदा बकरी अभियुक्त जशवंत द्वारा ही उसके बताए स्थान पर रखा जाना पाया गया है। अतः स्पष्ट है कि चोरी हुआ सामान अभियुक्त जशवंत के आधिपत्य में ही था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत के अनुसार यदि चुराये हुए माल पर जिस व्यक्ति का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है जबतक की वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त जशवंत यह स्पष्ट नहीं कर सका कि प्रश्नगत चोरी गया सामान किस प्रकार उसके आधिपत्य में आया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा संपत्ति पर कब्जे का कोई भी युक्तियुक्त कारण वर्णित न करना यह स्पष्ट कर देता है कि अभियुक्त जशवंत द्वारा ही घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रश्नगत चोरी हुई संपत्ति चुराई थी।

16— यद्यपि अभियुक्त राजू भदौरिया के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और अभियुक्त राजू भदौरिया के द्वारा दिये गये धारा 27 के मेमो प्र.पी.10 के आधार पर किसी प्रकार की कोई जप्ती भी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त राजू भदौरिया को भा0द0वि0 की धारा 379 का अपराध प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है और उसको इस प्रकरण में स्वतंत्र करते हुए उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं, किन्तु अभियोजन अभियुक्त जशवंत के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 01.12.2008 को 10 बजे चकलाबावडी बी.एस.एन.एल टावर के सामने चंदेरी में फरियादी अशोक रेकवार की स्वामित्व एवं आधिपत्य की बकरी कीमत रुपये 5000/— रुपये को बेईमानी पूर्वक उसकी सहमति के बिना चोरी की।

17— दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

पुनश्च:-

18- उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध प्रमाणित आरोप धारा 379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत उदारता पूर्वक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया है।

19- प्रकरण की परिस्थितियों एवं चोरी की घटनाओं में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त जशवंत को भा0द0वि0 की धारा 379 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।

20- अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

21- प्रकरण में जप्तशुदा एक बकरी लाल सफेद रंग की पूर्व से सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समक्षा जावे।

22- अभियुक्त जशवंत को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।

23- अभियुक्त जशवंत के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक—748 / 08